वित्त निर्देश 11/2009

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 82/सी-23015/वित्त/नियम/चार/2009, रायपुर, दिनांक 06 अप्रैल 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

संदर्भः- छ.ग. शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 202/201/वि/नि/चार/2008, दिनांक 07.07. 2007 एवं क्रमांक 183/382/वि/नि/चार/2008, दिनांक 29 अगस्त 2008

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 29 अगस्त 2008 की कंडिका-3 के अनुसार दिनांक 1.1.96 के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा स्थित कार्यालयों से सेवानिवृत्त/दिवंगत ऐसे पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों जिनका पेंशन पूर्व में महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) द्वितीय, ग्वालियर द्वारा प्राधिकृत किया गया था तथा प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में निवासरत् होकर उस राज्य के महालेखाकार के माध्यम से अपनी पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अपनी पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के लिए आवेदन विभाग/कार्यालय के उस अधिकारी को संबोधित करेंगे, जिन्होंने प्रथमतः पेंशन प्रकरण महालेखाकार ग्वालियर को पेंशन प्राधिकृत करने हेतु प्रस्तुत किया था । कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्राधिकृत करने हेतु प्रकरण महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को भेजा जायेगा तथा महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा ।

उक्त प्रक्रिया से पेंशनरों को होने वाली असुविधा तथा विलंब को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में भी पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 29 अगस्त 2008 की कंडिका-2 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/कोषालय अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा किया जायेगा । उक्त ज्ञापन दिनांक 28 अगस्त, 2008 उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाए ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 83/सी-230159/वित्त/नियम/चार/2009, रायपुर, दिनांक 06 अप्रैल 2009

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग